2024/22

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

तोलाराम पुत्र अणदाराम जाति चमार(मेघवाल) साकिन वार्ड न0 31

बनाम

हेतराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी साकिन सूरतगढ आदि

अपील अंतर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्या 21/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.05.2024	यह अपील श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता द्वारा अंतर्गत नियम 75 एलआरएक्ट के प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि गोजा ढुकराना तहसील सूरतगढ के खाता न0 4/3 के ख.न. 300, 1080/298 में 18.355 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से 3.213 है0 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि अपीलांट को अपने पिता अन्नदा पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी सोमासर से विरासतन भूमि प्राप्त है। वर्णित रकबा दो खसरा जात में 298/4,व 300 में विभाजित है। सोमासर गांव की कांकड से अपीलांट व अपीलांट के परिवार का रकबा ख.न. 298/4, व ख.न. 300 शुरू होता है। अपीलांट का जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता के समय से ही खातेदारी रकबा है जिस पर अपीलांट के पिता के समय से ही खातेदारी रकबा है। जिस पर अपीलांट के परिवार का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 जिसका ख.न. 298 में कहीं भी कब्जा काश्त नहीं है केवल मात्र पेपर अलॉटी है ने राजस्व कार्मिको के साथ सांठ गांठ करके लठ्ठे नक्शे पर सोमासर की कांकड के दक्षिणी दिशा की तरफ तरमीम कराते हुए ख.न. 1098/298 व ख.न. 1099/298 अंकित करवा लिया है जो कि अपीलांट के कब्जा काश्त ख.न. 298 का भाग है। जिस पर तरमीम करवाने का किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार रेस्पोडेंट का नहीं था। तरमीम की आड में प्रार्थी के रकबे मे जबरन घुसने व प्रार्थी को बेकब्जा करने की फिराक में है यदि अप्रार्थी अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो मुझ प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजात पर विश्वास करने से प्रथम दृष्टया प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक मौजा ढुकराना के ख.न. 298/4 से पैमूद ख.न. 1080/298 व ख.न. 300 की [illegible] काश्त की भूमि की मौका व रिकार्ड की [illegible] अप्रार्थीगण के नाम सम्मन नोटिस जारी हो, [illegible] न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.06.2024 को पेश हो। (कन्हैयालाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	276-77 15-5-24

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:01:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

19/6/24 बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब अप्रार्थी की तरफ से श्री भ्रमण/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। राजवीर भाद एडवोकेट द्वारा पत्रावली दिनांक 3-7-24 को पेश हो। वकालतनामा पेश किया है।

3/7/24 बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ~~ADM साहब भ्रमण/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है।~~ पत्रावली दिनांक 9-7-24 को पेश हो।

9/7/24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रा.पत्र 96 c.p.c, धारा 5 मियाद अधि. प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रा.पत्र 151 cpc प्रस्तुत किया है। मुताबिक प्रा.पत्र रोही धुबरावना के ख.नं. 298/5 वर्तमान ख.नं 1098/298, 1099/298 की तरमीम के विरुद्ध बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है जो क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रा.पत्र 151 cp.c की प्रति वकील अपीलांट को उपलब्ध करवाई जाकर, पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] पेश हो। प्रा.पत्र 151 cp.c हेतु दिनांक 16-7-2024 [illegible] पुनश्च: पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र 96 [illegible] 5 मियाद प्रा.पत्र हेतु दिनांक 16-7-2024 को [illegible]

16/7/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। जवाब की प्रति [illegible] रेस्पोडेंट को उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली वास्ते [illegible] ~~दिनांक~~ प्रा.पत्र वास्ते बहस 96 cpc व धारा 5 मियाद को व प्रा.पत्र 151 cpc पर बहस हेतु दिनांक 22-7-2024 को पेश हो।

22/7/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी के प्रा.पत्र 151cpc पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी नं.1 के द्वारा अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त करने का कहा तथा बताया कि उक्त अपील बिना किसी मातहत न्यायालय के निर्णय के बिना पेश की गई है जिसपर श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है तथा अपीलांट ने अपील में भी बिना किसी आदेश के तथ्यों को स्वीकार किया गया है इसलिए अपील इसी

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	स्तर पर निरस्त करवाई जावे। प्रार्थी अपीलांट के द्वारा प्रा. पत्र का जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी/ गिरदावर/तहसीलदार स्तर की इन्द्राज मानी जाती है और जिनकी अपील का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय में है इसलिए अप्रार्थी का प्रा. पत्र निरस्त योग्य है। उक्त उभयपक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया उक्त जैरअपील बिना किसी मातहत न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त करना उचित समझते हैं। अतः अप्रार्थी का प्रा. पत्र 151 CPC स्वीकार कर अपील अपीलांट निरस्त की जाती है एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 15-5-2024 को जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:01:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2024/22

न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

सरवरक (मुख पृष्ठ)

सीमा	नम्बर रजिस्टर	दायर करने की तारीख	तारीख निर्णय	पृष्ठों की संख्या	नम्बर अभिलेखागार
अपील	21	15-5-24			

तोलाराम **बनाम** हेतराम

वकील वादी — सूचि कागजात — वकील प्रतिवादी

श्री सुरेन्द्र कुमार — श्री राजवीर भादू

क्रम संख्या	विवरण कागजात	कागजों की संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:01:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner